

न्यायालय एफ.टी.सी./अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

पीठासीन अधिकारी- सविता चमोली, एच0जे0एस0

विशेष सत्र परीक्षण सं0 22/2025

CNR:UKNA05-000334-2025

एफ.आई.आर. संख्या- 54/2025

धारा-354 (डी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860

एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

थाना- हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।

शिकायतकर्ता

उत्तराखण्ड राज्य

विद्वान विशेष लोक अभियोजक

श्री गोकुल चन्द्र पनेरू

अभियुक्त

शाहिद अफरीदी पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार
निवासी-वार्ड न. 4 नियर शमशान घाट, गौला
गेट टनकपुर रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
स्थायी पता- वारसी कॉलोनी गौलागेट टनकपुर
रोड, राजपुरा हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

अभियुक्त की ओर से

विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश राज चौधरी।

अपराध का दिनांक

घटना की रिपोर्ट लिखाये जाने की तिथि 22.
02.2025 से लगभग 3 वर्ष पूर्व से

प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक

22.02.2025

आरोप पत्र दाखिल करने का दिनांक

22.04.2025

आरोप विरचित करने का दिनांक

16.05.2025

साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक

12.09.2025

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक

17.10.2026

निर्णय का दिनांक

22.10.2026

सजा सुनाये जाने का दिनांक

अभियुक्त का विवरण

क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा की अवधि	जेल में बितायी गयी अवधि
1	शाहिद अफरीदी	22.02.2025	01.05.2025	धारा 354(डी) भा0द0स0 एवं धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट	दोषमुक्ति		दिनांक 22.02.2025 से 01.05.2025

निर्णय

थाना-हल्द्वानी, जिला नैनीताल में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 54/2025 में अभियुक्त शाहिद अफरीदी के विरुद्ध धारा-354(डी), 504 भारतीय



दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा- 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे निर्णय में आगे पॉक्सो अधिनियम लिखा जा रहा है) के अन्तर्गत विवेचक द्वारा प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. पॉक्सो अधिनियम की धारा 23(2) व धारा 33(7) के एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ (2019) 2 एस.सी.सी.703 के अनुपालन में निर्णय में पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले तथ्य उल्लेखित नहीं किये गये हैं।

अभियोजन कथानक

3. (i) संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/ पीड़िता के भाई ने एक लिखित तहरीर थाना हल्द्वानी में इस आशय की दी कि, "मेरी बहन जा... दा.... जिसकी उम्र 15 साल है, जो कि शाहिद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी गौलागेट टनकपुर रोड वारसी कालौनी राजपुरा हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का है, जो कि पहचान छुपाकर 3 साल से मेरी बहन जा.. दा.. के सम्पर्क में था, साथ ही मेरी नाबालिक बहन का शारीरिक शोषण कर रहा था, जब मेरी बहन को पता लगा वह मुस्लमान है तो उसने उससे बात करना बन्द कर दिया था, तो वो उसको जान से मारने की धमकी देने लगा और साथ ही उस पर मुसलमान बनाने का दबाव डालने लगा, यह बात मेरी बहन ने मुझे बताई तो मैं शिकायत करने थाने में आया हूँ। इस घटना से मेरी बहन काफी डरी व शहमी हुई है, साथ ही मेरे परिवार को भी इससे जान माल का खतरा है।"

(ii) वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना-हल्द्वानी में अभियुक्त शाहिल के विरुद्ध धारा-376, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा- 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 3/4 उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 में अभियोग पंजीकृत हुआ, तत्पश्चात मामले में विवेचना प्रारम्भ हुई और दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता के बयान अंकित कर पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, दिनांक 22.02.2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया, विवेचक द्वारा सम्बन्धित साक्षीगण के बयान लिये गये, पीड़ित के अंतर्गत धारा-183 बी.एन.एस.एस. के बयान अंकित करवाये गये और अभियुक्त शाहिद अफ्रीदी के विरुद्ध मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र अंतर्गत धारा 354(डी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों



का संरक्षण अधिनियम हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रसंज्ञान एवं आरोप

4. न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर अभियुक्त को नकलें प्रदान की गयी। अभियोजन एवं अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त शाहिद अफरीदी के विरुद्ध धारा 354(डी) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

अभियोजन साक्ष्य

5. (i) अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को न्यायालय परीक्षित कराया गया है—

साक्षी क्रम सं.	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका
1.	श्री होरी लाल गंगवार	प्रधानाचार्य, पीड़िता के विद्यालय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के संबंध में
2.	कु. जान....दा....	पीड़िता
3.	डॉ. तृप्ता	पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
4.	श्री सुन... सिंह	पीड़िता का भाई/वादी मुकदमा
5.	महिला कां. छाया	जी.डी. व चिक एफ.आई.आर. लेखक
6.	एस.आई. रेनू	विवेचक

(ii) अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों द्वारा इस मामले में निम्न दस्तावेजों को साबित किया गया—

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साबितकर्ता/सत्यापितकर्ता
1.	एस.आर. रजिस्टर की प्रति	पी.डब्लू.-1
2.	जन्मतिथि प्रमाणपत्र(पीड़िता)	पी.डब्लू.-1
3.	जन्मतिथि प्रमाणपत्र(पीड़िता)	पी.डब्लू.-1
4.	बयान धारा-183 बी.एन.एस.एस.(पीड़िता)	पी.डब्लू.-2
5.	मेडिकल रिपोर्ट	पी.डब्लू.-3
6.	मूल तहरीर	पी.डब्लू.-4
7.	जी.डी.	पी.डब्लू.-5
8.	चिक एफ.आई.आर.	पी.डब्लू.-5
9.	चैक लिस्ट	पी.डब्लू.-6
10.	सूचना मैमो	पी.डब्लू.-6



11.	गिरफ्तारी नैमो	पी.डब्लू-6
12.	प्रार्थना पत्र	पी.डब्लू-6
13.	प्रार्थना पत्र	पी.डब्लू-6
14.	नक्शानजरी	पी.डब्लू-6
15.	आरोप पत्र	पी.डब्लू-6

अभियुक्त की परीक्षा अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता

6. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त, अभियुक्त की धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षा की गयी, जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कथन किया गया कि अभियोजन साक्षीगण ने झूठे बयान दिये हैं, उसके विरुद्ध झूठी विवेचना कर झूठा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। तथाकथित घटना वाले दिन पीड़िता उसकी बाईक चलाकर उसके ही मोबाइल से ब्लॉग बना रही थी। हीरानगर चौराहे के पास सी.पी.यू. वालों ने उन्हें रोका। चूँकि पीड़िता के पास डी.एल. नहीं था तो वे उसे व पीड़िता को हीरानगर चौकी ले गये। पीड़िता को घर भेज दिया व उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाकर उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा कर दिया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

7. मेरे द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

8. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर धारा 354(डी) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अधिनियम का आरोप है।

9. अभियुक्त पर लगाये गये उक्त आरोप को सिद्ध किये जाने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिनमें पी0डब्लू0-1 श्री होरी लाल गंगवार, प्रधानाध्यापिका, पीड़िता की विद्यालय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि को साबित करने की साक्षी, पी0डब्लू0-2 पीड़िता, पी0डब्लू0-3 डॉ. तृप्ता पीड़िता का मेडिकल परीक्षणकर्ता, पी0डब्लू0-4 पीड़िता का भाई/वादी मुकदमा, पी0डब्लू0-5 महिला कां. छाया, चिक एफआईआर लेखक, पी0डब्लू0-6 एस.आई. रेनू विवेचक विवेचक हैं।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित उक्त साक्षियों में से पी0डब्लू0-2 पीड़िता तथा पी0डब्लू0-4 पीड़िता का भाई/वादी मुकदमा तथ्य के साक्षी हैं, जिनके



साक्ष्य की विवेचना निर्णय में सुसंगत स्थान पर की जायेगी।

11. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-4 श्री होरी लाल गंगवार, पीड़िता के विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, जिसके द्वारा विद्यालय अभिलेखों के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि को साबित किया गया है तथा एस.आर. रजिस्टर की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श पी-1 एवं विद्यालय द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र को प्रदर्श पी-2 व प्रदर्श पी-3 के रूप में साबित किया गया।
12. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-3 डॉ. तृप्ता द्वारा दिनांक 22.02.2025 को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करना बताते हुए मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श पी-5 के रूप में साबित किया है।
13. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-5 महिला कां. छाया इस मामले की जी.डी. एवं चिक एफ.आई.आर. किता कर्ता हैं, जिनके द्वारा दिनांक 22.02.2025 को थाना हल्द्वानी में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए कायमी मुकदमे की जी.डी. को प्रदर्श पी-7 तथा चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श पी-8 के रूप में साबित किया है।
14. पी.डब्लू.-6 एस.आई. रेनू इस मामले की विवेचक हैं, जिनके द्वारा दौरान विवेचना तैयार किये गये प्रपत्र चैक लिस्ट, सूचना मैमो, गिरफ्तारी मैमो को क्रमशः प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-11, प्रार्थना पत्र को प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-13, नक्शा नजरी को प्रदर्श पी-14 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श पी-15 के रूप में साबित किया गया।
15. अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में अभियुक्त द्वारा नाबालिक पीड़िता का अश्लील व लैंगिक आशय से पीछा कर उसका लैंगिक उत्पीड़न किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य अभियोजन साक्षीगण द्वारा भी अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गई है।
16. विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं-
(1) पीड़िता अभियुक्त को पूर्व से ही जानती थी और उसके साथ अपनी मर्जी से ब्लॉग बनाती थी, उक्त ब्लॉग शाहिद यू.के. 4 है, जो कि अभियुक्त के



नाम से ही था, जिसे पीड़िता शुरू से जानती थी और उक्त तथ्य को पीड़िता द्वारा उसके बयानों में स्वीकार किया गया है।

(2) अभियुक्त द्वारा पीड़िता को परेशान नहीं करने या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करने के तथ्य को स्वयं पीड़िता द्वारा उसके बयानों में स्वीकार किया गया है।

(3) घटना के दिन पीड़िता अभियुक्त की बाईक चला रही थी व उसके पास लइसेंस नहीं था, जिस कारण पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उसके भाई को फोन से बुलाया गया, और अभियुक्त के मुस्लिम धर्म के होने के कारण उसके विरुद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर गलत रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

(4) अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

17. दोनों पक्षों के तर्कों एवं अभियुक्त पर लगाये गये आरोप एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रभावी विनिश्चय हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैं—

1. क्या पीड़िता घटना की तिथि दिनांक 22.02.2025 को 18 वर्ष से कम आयु की होने के कारण धारा 2(डी) पॉक्सो अधिनियम के विधिक प्रावधानानुसार बालक की परिभाषा में आती थी?
2. क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप अन्तर्गत धारा 354(डी) भारतीय दण्ड संहिता, एवं धारा 11/12 पॉक्सो अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होते हैं?

निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0-1

18. अवधार्य बिन्दु सं0-1 इस आशय का विरचित किया गया है कि “क्या पीड़िता घटना की तिथि दिनांक 22.02.2025 को 18 वर्ष से कम आयु की होने के कारण धारा 2(डी) पॉक्सो अधिनियम के विधिक प्रावधानानुसार बालक की परिभाषा में आती थी?”

19. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार, घटना की तिथि को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता का सरस्... विद्या मंदि... हल्द्वानी से शिक्षा ग्रहण करना बताते हुए विद्यालय के अभिलेखों में पीड़िता की अंकित जन्मतिथि व विद्यालय अभिलेखों के आधार पर पीड़िता की जन्म तिथि को साबित करने हेतु उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री होरीलाल गंगवार को बतौर पी0डब्लू0-1 परीक्षित करवाया गया है।



20. श्री होरीलाल गंगवार पी0डब्लू0-1 द्वारा उसके बयानों की मुख्य परीक्षा में विद्यालय अभिलेखों के आधार पर पीड़िता का उनके विद्यालय में कक्षा-9 में प्रवेश होना बताते हुए यह बयान दिया गया है कि " मैं उक्त विद्यालय में वर्ष 2011 से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा बारह तक संचालित है। दिनांक 14.05.2024 को छात्रा जा.....का प्रवेश हमारे विद्यालय में कक्षा 9 में हुआ था। प्रवेश के समय छात्रा के अभिभावक द्वारा छात्रा जा.....का कक्षा 8 उत्तीर्ण होने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र पूर्व विद्यालय जी0जी0.....का दिया था जिसके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 21.01.2009 है। आज मैं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र अपने साथ लाया हूँ जिसकी छायाप्रति पत्रावली में कागज सं0 31क है, मूल में देखकर छायाप्रति को मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है। आज मैं अपने साथ अपने विद्यालय का एस0आर0 रजिस्टर मूल लेकर आया हूँ। पंजिका के पंजीकरण सं0 1582 में छात्रा की जन्मतिथि 21.01.2009 है, मूल में मेरे हस्ताक्षर हैं, मूल की छायाप्रति पत्रावली में कागज सं0 30क है, मूल में देखकर छायाप्रति को मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है जो समरूप है, छायाप्रति में अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श पी-1/ पी0डब्लू0 1 अंकित किया गया। छात्रा जा..... हमारे विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययनरत है जिसका प्रमाण पत्र मेरे द्वारा दिया गया है जो मेरे हस्ताक्षर में पत्रावली में कागज सं0 29क है शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श पी-2/ पी0डब्लू0 1 अंकित किया गया जिसके अनुसार छात्रा की जन्मतिथि 21.01.2009 है। पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र कागज सं0 13क/ 1 हमारे विद्यालय से जारी है जो रमेश चन्द्र रजवार प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जमा किया गया है। मेरी अनुपस्थिति में वह विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत होते हैं उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में छात्रा की जन्मतिथि 21.01.2009 है। यह प्रमाण पत्र उनके लेख एवं हस्ताक्षर में है, हम एक ही विद्यालय में विगत तीस वर्षों से साथ काम रहे हैं। मैं उनके लेख हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूँ, शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श पी-3/ पी0डब्लू0 1 अंकित किया गया।"

21. ऐसे में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-1 के बयानों के आधार पर यह साबित है कि पीड़िता के स्कूल के अभिलेखों के आधार पर पीड़िता की **जन्मतिथि 21.01.2009** है तथा अभिलेखों में अंकित उक्त जन्मतिथि के आधार पर इसके द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र कागज संख्या- 29क को भी पी0डब्लू0-1 द्वारा उसके बयानों में प्रदर्श पी-2 के रूप में साबित किया है।



22. इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से अभियोजन द्वारा पीड़िता की जन्मतिथि सम्बन्धी दाखिल उक्त दस्तावेजों के खण्डन में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो पीड़िता की उक्त जन्मतिथि तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0-1 के उपरोक्त साक्ष्य का खण्डन करता हो।
23. उक्त के अतिरिक्त अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-1 से बचावपक्ष की ओर से पर्याप्त प्रतिपरीक्षा भी की गयी, किन्तु उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षा के बयानों में भी कोई ऐसा तथ्य नहीं उजागर नहीं हुआ है, जिससे पीड़िता के विद्यालय अभिलेखों में अंकित उक्त जन्मतिथि का कोई खण्डन होता हो। अतएव इस मामले में पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित स्कूल दस्तावेज अखण्डनीय हैं तथा उक्त दस्तावेज एवं पी0डब्लू0-1 के साक्ष्य से साबित होता है कि पीड़िता मामले की रिपोर्ट लिखाये जाने की तिथि 22.02.2025 को लगभग 16 वर्ष 01 माह 01 दिन की बालक थी।
24. उक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है कि पीड़िता घटना की तिथि दिनांक 22.02.2025 को 18 वर्ष से कम आयु की होने के कारण धारा 2(डी) पॉक्सो अधिनियम के विधिक प्रावधानानुसार बालक की परिभाषा में आती थी। तदनुसार **अवधार्य बिन्दु सं0-1 अभियोजन के पक्ष में सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।**

निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0-2

25. यह अवधार्य बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि "क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप अन्तर्गत धारा 354 (डी) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 11 / 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होते हैं?"
26. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर धारा 354 (डी) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 11 / 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के सम्बन्ध में यह आरोप है कि घटना की रिपोर्ट लिखाये जाने की तिथि 22.02.2025 से लगभग 3 वर्ष पूर्व से अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग बहन पीड़िता की अनिच्छा स्पष्ट उपदर्शन के बावजूद भी अश्लील व लैंगिक आशय से लगातार पीड़िता का पीछा करते हुए उसका लैंगिक उत्पीड़न किया गया।
27. अभियुक्त पर लगे उक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाये गये 6 साक्षियों में से तथ्य के मात्र दो साक्षी हैं, जिनमें पी.डब्लू. 2 पीड़िता एवं पी.डब्लू. 4 वादी मुकदमा/पीड़िता का भाई है।



28. अभियोजन की ओर से परीक्षित वादी मुकदमा/ पीडिता के भाई पी.डब्लू. 4 द्वारा घटना के सम्बन्ध में दी गई तहरीर प्रदर्श पी-6 को उसके बयानों में साबित करते हुए यह बयान दिया गया है कि " मैं अभियुक्त शाहिद अफरीदी को नहीं जानता हूँ। मेरे द्वारा दी गयी तहरीर मेरी बहन/पीडिता के बताए अनुसार लिखी थी। जो पत्रावली में कागज संख्या 3क/4 टाईपशुदा है। इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस पर प्रदर्श पी-6/पी.डब्लू. 4 अंकित किया गया। मैंने पुलिस को यह बयान नहीं दिया था कि अभियुक्त शाहिद पीडिता को परेशान करता है।"

29. ऐसे में अभियोजन की ओर से परीक्षित वादी मुकदमा पी0डब्लू0-4 के मुख्य परीक्षा के बयानों के आधार पर ही यह तथ्य साबित है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा इस साक्षी के अनुसार, इसके द्वारा तहरीर प्रदर्श पी-6 अपनी बहन के बतायेनुसार लिखी गई है।

30. पीडिता के भाई/ वादी मुकदमा पी.डब्लू. 4 के बयानों के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी से अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में भी स्पष्ट रूप से इसके द्वारा इसके सामने अभियुक्त द्वारा पीडिता को परेशान नहीं करने व घटना के दिन उसकी बहन द्वारा अभियुक्त के साथ ब्लॉग बनाने के लिए अपनी मर्जी से जाने तथा पीडिता व अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़ने व पुलिस के कहने पर ही इसके द्वारा रिपोर्ट कराये जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बयान दिया गया है कि " मेरी बहन अभियुक्त के साथ ब्लॉग बनाने के लिए अपनी मर्जी से जाती थी। मैंने अभियुक्त शाहिद को कभी अपनी बहन तंग परेशान करते हुए या बुरा व्यवहार करते हुए नहीं देखा। पुलिस ने शाहिद और मेरी बहन को पकड़ रखा था और उसके बाद मुझे थाने बुलाया और पुलिस के कहने पर मैंने रिपोर्ट करवाई।"

31. ऐसे में वादी मुकदमा पी0डब्लू0-4 के प्रतिपरीक्षा के बयानों में पीडिता के अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ ब्लॉग बनाने जाने, घटना के दिन इसकी बहन व अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़ने व पुलिस के कहने पर ही इसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने सम्बन्धी कथन करने के आधार पर इस मामले में इस साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु दी गयी तहरीर में अंकित घटनाक्रम ही संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि इस साक्षी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श पी-6 में इसके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित घटना बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

32. वादी मुकदमा पी0डब्लू0-4 के बयानों के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी द्वारा उसके बयानों में पुलिस को अभियुक्त की व्हाट्सएप की कुछ स्क्रीन शॉट की प्रतियों को देना कहा गया है जोकि पत्रावली पर कागज सं. 14क/1 लगायत 2 के रूप में संलग्न हैं, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित नहीं किया गया है कि उक्त स्क्रीन शॉट की प्रतियों का मूल स्रोत क्या था और ना ही अभियोजन पक्ष द्वारा दौरान विचारण उक्त स्क्रीन शॉट की प्रतियों को विधिनुसार साबित किया गया है, जिस कारण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त स्क्रीन शॉट की फोटोप्रतियों अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में पठनीय नहीं हैं।

33. अतएव न्यायालय के मत में वादी मुकदमा पी0डब्लू0-4 के बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप को तथ्यात्मक रूप से साबित करने हेतु कोई बल नहीं मिलता है।

34. वादी मुकदमा के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले की पीड़िता को बतौर पी.डब्लू. 2 परीक्षित करवाया गया है, जिसके द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा में ही यह बयान दिया गया है कि "हम दो बहनें और दो भाई हैं। मेरे पिता त्रि..... की मृत्यु हो चुकी है। मेरे सभी भाई बहन मुझसे बड़े हैं। हमारे चाचा ल.....ने हमें गोद लिया है हम उन्हीं के साथ रहते हैं। मैं कक्षा दस में एस0 वी में अध्ययनरत हूं। मैं अभियुक्त शाहिद अफरीदी को तीन साल से जानती हूं। अभियुक्त ने मुझे अपना नाम राहुल बताया था फिर मेरी दोस्ती अभियुक्त से हो गयी और हम साथ में ब्लॉग बनाने लगे। अभियुक्त मुझे चला कि वह मुसलमान है तो मैंने अभियुक्त से बात करना बंद कर दिया। मेरे बात न करने के कारण अभियुक्त मुझे धमकी देता था और मुझसे बात करने के लिए मेरे घर तक आ जाता था। मुझसे कहता था कि मुझसे बात कर नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। तेरे घर के अंदर आ जाऊंगा। यह बात साल 2024 की है। अभियुक्त के द्वारा मुझे परेशान करने के कारण मेरे भाई ने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट की थी। पुलिस ने रिपोर्ट में कार्यवाही की। मुझसे पूछताछ की। मेरा मेडिकल भी हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट के प्रपत्र सं0 11क/2 में अ स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी अंकित है। मैंने शाहिद के साथ दिनांक 22.02.2025 को मोटर साइकिल से जाने वाली बात डॉक्टर को बताई थी जो मेडिकल रिपोर्ट के कागज सं0 11क/3 में मेरे लेख में है व 'अ' स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करती हूं। मेरे बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 अभिलिखित हुए थे। गवाह को पत्रावली में संलग्न कागज सं0 17क/3 बयान 183बी0एन0एस0एस0 पढ़कर सुनाए। गवाह ने कहा यह



बयान मैंने ह दिए थे तथा अ स्थान पर अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श पी-4/ पी0डब्ल्यू0 4 अंकित किया। मैंने पुलिस को वह स्थान भी दिखाया था जहां अभियुक्त मुझे परेशान करता था। नक्शानजरीकागज सं0 12 क में अ स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करती हूं। ”

35. ऐसे में पीड़िता के मुख्य परीक्षा के बयानों का अवलोकन करने के दर्शित होता है कि यद्यपि पीड़िता द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा के बयानों में उसे, अभियुक्त द्वारा स्वयं को हिन्दू धर्म का होना बताते हुए अपना नाम राहुल बताया जाना, अभियुक्त से उसकी दोस्ती होना और साथ में ब्लॉग बनाना तथा पीड़िता को अभियुक्त के मुसलमान होने का पता चलने पर उसके द्वारा अभियुक्त से बात बन्द करने पर अभियुक्त द्वारा उसे धमकी देने व उसके घर तक आ जाने का कथन किया गया और अभियुक्त के पीड़िता को परेशान करने के कारण पीड़िता के भाई द्वारा रिपोर्ट लिखवाये जाने का भी कथन किया गया है, किन्तु पीड़िता के मुख्य परीक्षा के उक्त बयान विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि पीड़िता द्वारा अभियुक्त व पीड़िता के जिस ब्लॉग आई.डी. से ब्लॉग बनाये जाने का कथन किया गया है, उक्त ब्लॉग “शाहिद यू.के. 4” नाम से था, जो कि अभियुक्त के नाम से मेल खाता है और उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए पीड़िता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बयान दिया गया है कि “मैं अभियुक्त शाहिद अफरीदी को तीन साल से जानती हूं। अभियुक्त के ब्लॉग का नाम शाहिद यू0के0 04 है जो मैं अभियुक्त से सबसे पहचान हुई तब से जानती हूं।”

36. इसके अतिरिक्त पीड़िता द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के बयानों में स्वीकार करते हुए यह बयान दिया है कि “दिनांक 22.02.2025 को मैं अभियुक्त के साथ अपनी सहमति से ब्लॉग बनाने गयी थी। मैं अभियुक्त की बाइक चला रही थी और सी0पी0यू0 वालों ने मुझे रोक लिया था। दिनांक 22.02.2025 को सी0पी0यू0 वाले मुझे व अभियुक्त को हीरानगर चौकी ले गए थे। वहां पुलिस वालों ने मेरे भाई को फोन कर बुलाया था। मैं उस दिन शाम तक हीरानगर चौकी में बैठी थी और अभियुक्त भी वहीं बैठा था। फिर मैं 6-7 बजे शाम को घर चले गयी थी। मैं अभियुक्त के साथ ब्लॉग बनाने घर में बताकर नहीं जाती थी। मैं घटना वाले दिन अभियुक्त के साथ चाय सुट्टा बार तिकोनिया में ब्लॉग बनाने अपनी मर्जी से गयी थी। दिनांक 22.02.2025 को सुबह से मेरे द्वारा ही अभियुक्त के मोबाइल से ब्लॉग बनाया जा रहा था। यह कहना सही है कि अभियुक्त और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और जब भी हम ब्लॉग बनाने के लिए आपसी सहमति से मिलते थे। कई

बार ऐसा होता था कि वह मिलने के लिए कहता था मैं नहीं जा पाती थी। जिस दिन पुलिस ने हमें पकड़ा उस दिन भी हम दोनों आपसी सहमति से ब्लॉग बनाने गए थे। **अभियुक्त द्वारा कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। पुलिस ने हमें पकड़ लिया था मैं डर गयी थी और इस कारण ही रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरा भाई अभियुक्त को घटना से पूर्व नहीं जानता था।**”

37. ऐसे में पीडिता के प्रतिपरीक्षा के बयानों का अवलोकन करने से यह दर्शित होता है कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह अभियुक्त से साथ ब्लॉग बनाने अपनी मर्जी से जाती थी और अभियुक्त द्वारा उसके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। घटना की दिनांक को उसके द्वारा ही अभियुक्त के मोबाइल से ब्लॉग बनाया जा रहा था तथा पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और डर के कारण इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी।

38. अतएव पीडिता द्वारा उसके प्रतिपरीक्षा के बयानों में की गई उक्त स्वीकारोक्ति से इस मामले में अभियुक्त द्वारा लिये गये इस बचाव को बल मिलता है कि पीडिता व अभियुक्त ब्लॉगर हैं व रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने की तिथि दिनांक 22.02.2025 को पीडिता अपनी मर्जी से ब्लॉग बनाने आई थी व पीडिता द्वारा अभियुक्त की बाईक चलाई जा रही थी व अभियुक्त के मोबाइल से ब्लॉग बनाया जा रहा था, किन्तु पीडिता के पास लाइसेंस नहीं होने के कारण पीडिता व अभियुक्त को सी0पी0यू0 वालों द्वारा पकड़ लिया गया था, व अभियुक्त के विरुद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया दिया गया।

39. ऐसे में इस मामले में पीडिता के सम्पूर्ण बयानों के अवलोकन करने के आधार पर यह स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा उसके मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में पूर्णतया भिन्न घटनाक्रम बताते हुए विरोधाभासी बयान दिये गये हैं तथा पीडिता के बयानों में आये उक्त तात्त्विक विरोधाभासों के आधार पर पीडिता के अभियुक्त द्वारा उसका पीछा करने व परेशान सम्बन्धी बताई गई घटना संदिग्ध हो जाती है तथा पीडिता के उक्त विरोधाभासी असम्पुष्ट बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

40. परिणामतः न्यायालय के मत में, अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप अन्तर्गत धारा 354 (डी) भारतीय दण्ड संहिता, एवं धारा 11/12 पॉक्सो अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। तदनुसार अवधार्य बिन्दु संख्या-2 अभियोजन के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।



41. उपरोक्त समस्त विवेचना के आलोक में इस न्यायालय के मत में प्रस्तुत मामले में अभियुक्त शाहिद अफरीदी के विरुद्ध विरचित आरोप अंतर्गत धारा 354 (डी) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। तदनुसार, अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

42. विशेष सत्र परीक्षण संख्या-22/2025 में, अभियुक्त शाहिद अफरीदी को उसके विरुद्ध आरोपित दण्डनीय अपराध अन्तर्गत धारा 354(डी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से दोषमुक्त किया जाता है।

43. उक्त विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त के जमानत पत्र एवं बंधपत्र निरस्त कर जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

44. अभियुक्त द्वारा धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में बंधपत्र व प्रतिभू निष्पादित किए जा चुके हैं, जो उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त विहित समय तक प्रभावी रहेंगे।

45. माल मुकदमाती, यदि कोई हो तो अपील अवधि की समाप्ति पर तथा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जाये।

शाहिद अफरीदी दिनांक-22.10.2026

(सविता चमोली)

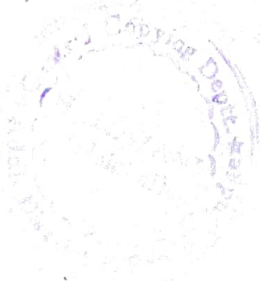
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी., हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक- 22.10.2026

(सविता चमोली)

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी., हल्द्वानी, जिला नैनीताल।



APPENDIX OF EVIDENCE**A. Prosecution.**

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है—

साक्षी क्रम सं.	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका
1.	श्री होरी लाल गंगवार	प्रधानाचार्य, पीड़िता के विद्यालय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के संबंध में
2.	कु. जान....दा....	पीड़िता
3.	डॉ. तृप्ता	पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
4.	श्री सुन... सिंह	पीड़िता का भाई/वादी मुकदमा
5.	महिला कां. छाया	जी.डी. व चिक एफ.आई.आर. लेखक
6.	एस.आई. रेनू	विवेचक

दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साबितकर्ता/सत्यापितकर्ता
1.	एस.आर. रजिस्टर की प्रति	पी.डब्लू.-1
2.	जन्मतिथि प्रमाणपत्र(पीड़िता)	पी.डब्लू.-1
3.	जन्मतिथि प्रमाणपत्र(पीड़िता)	पी.डब्लू.-1
4.	बयान धारा-183 बी.एन.एस.एस.(पीड़िता)	पी.डब्लू.-2
5.	मेडिकल रिपोर्ट	पी.डब्लू.-3
6.	मूल तहरीर	पी.डब्लू.-4
7.	जी.डी.	पी.डब्लू.-5
8.	चिक एफ.आई.आर.	पी.डब्लू.-5
9.	चैक लिस्ट	पी.डब्लू.-6
10.	सूचना मैमो	पी.डब्लू.-6
11.	गिरफ्तारी मैमो	पी.डब्लू.-6
12.	प्रार्थना पत्र	पी.डब्लू.-6
13.	प्रार्थना पत्र	पी.डब्लू.-6
14.	नक्शानजरी	पी.डब्लू.-6
15.	आरोप पत्र	पी.डब्लू.-6

वस्तु प्रदर्श (एम.ओ.)

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साबितकर्ता/सत्यापितकर्ता
1.	—	—



B. Defence evidence**बचाव साक्षी**

साक्षी क्रम सं.	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका
—	—	—

दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साबितकर्ता/सत्यापितकर्ता
—	—	—

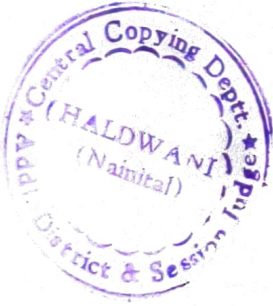
वस्तु प्रदर्श (एमओओ)

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साबितकर्ता/सत्यापितकर्ता
—	—	—

दिनांक— 22.10.2026

(सविता चमोली)

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी., हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

**True Copy**

23-10-26

Head Copyist
Central Copying Deptt.
Addl. Distt. & Session Judge
HALDWANT (Nainital)

Copied by... Harj SinghCompared by... Harj SinghNo. of Words... 100